एकता जन विकास समिति

तात्यापारा, वार्ड नं. 37, कुलकर्णी नर्सिंग होम के बाजू,
मोमिनपारा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

E-mail :- ajvsraipur@gmail.com   रजि. नं. 122202338399

परिचय :– हमारी समिति छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 21/02/2023 से रजिस्ट्रीकृत की गई है। समिति का नाम **"एकता जन विकास समिति"** रखा गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक 122202338399 है, संस्था का उद्देश्य सभी धर्मो के व्यक्तियों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान कर लोगों को जागरूक करना है, एवं उन योजनाओं में जो समस्याएं होती है। उनका त्वरित समाधान हेतु मार्गदर्शन देकर समस्यों को निराकरण करना है। हमारा उद्देश्य समाज में सभी वर्गो के लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में विकास कराना है।

- समिति का नाम :– एकता जन विकास समिति
- समिति पंजीयन दिनांक :– 21.02.2023
- समिति का पंजीयन क्रमांक :– 122202338399
- समिति में पदाधिकारी एवं सदस्यों की संख्या :– 20

❖ **एकता जन विकास समिति के वर्तमान पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम एवं पदवार जानकारी**

क्र.	नाम	पिता का नाम	पदनाम	मोबाईल नं.
1	श्री हैदर अली	स्व. रमजान अली	अध्यक्ष	93014 10027
2	श्री अजादार हुसैन	स्व. हसन जफर	सचिव	88391 11600
3	श्री मोहम्मद इक़्तेदार हैदरी	स्व. शफायत हुसैन	कोषाध्यक्ष	99268 17733
4	श्री मोहम्मद ज़हीर	स्व. सईदुल हसन	उपाध्यक्ष	78694 33492
5	श्री शारिक हैदरी	श्री शमीमुल हसन	संयुक्त सचिव	74890 50253
6	श्री गौहर अली	स्व. रमजान अली	सदस्य	97535 56070
7	श्री हैदर अली	श्री गौहर अली	सदस्य	98279 22115
8	श्री आदिल असगर हैदरी	स्व. गुलाम अकबर हैदरी	सदस्य	99933 36488
9	श्री शहनवाज हुसैनी	स्व. नातिक अली हुसैनी	सदस्य	97526 11247
10	श्री मोहम्मद ज़िवेकार हैदरी	स्व. शफायत हुसैन	सदस्य	98938 59668
11	श्री मोहम्मद मुकारम	श्री अज़ीज़ुल हसन	सदस्य	97554 47472
12	श्री मोहम्मद सरोश	श्री शरीफुल हसन	सदस्य	78691 52390
13	श्री अम्मार हैदर	स्व. गुलाम हैदर	सदस्य	74898 62242
14	श्री रिजवान हैदर	श्री सुल्तान अली	सदस्य	88788 77793
15	श्री इम्तियाज़ हुसैन	श्री शाकीर अली	सदस्य	78692 66268
16	श्री मोहम्मद नवाजिश	श्री मोहम्मद हामिद अली	सदस्य	70006 16800
17	श्री एज़ाज हुसैन	स्व. मुशताक अली	सदस्य	74157 48444
18	श्री अफज़ाल अली	स्व. मुमताज अली	सदस्य	81036 66100
19	श्री साहिल हुसैन	श्री सलमान हैदर	सदस्य	98937 24888
20	श्री मोहम्मद शबीब	स्व. मेहदी हसन	सदस्य	93008 55272

— : एकता जन विकास समिति का उद्देश्य :—

1. स्वास्थ्य (HEALTH)

- ❖ निः शुल्क मेडिकल कैम्प (स्वास्थ्य शिविर) का आयोजन करना। सभी वर्ग/धर्म के लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चिकित्सा परीक्षण दौरान से स्वास्थ्य परामर्श उपरांत स्वास्थ्य संबंधित दवाईयों का भी निःशुल्क वितरण किया जाना।
- ❖ समाज में आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, मेडिकल एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रबंध करना। जिससे आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद व्यक्तियों के द्वारा उपयोग कर, होने वाली अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकें।
- ❖ पीएम—जेएवाई कार्ड, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड है, सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, जो पात्र परिवारों को 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करता है। इस संबंध में समाज में लोगों को जागरूक करना, तथा उचित मार्गदर्शन देकर योजना का लाभ दिलाने में सहायता करना एवं अन्य सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड से सम्बंधित अस्पतालों में कार्ड के उपयोग करने मे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो उसके निवारण करने में उचित मार्गदर्शन देना।
- ❖ समाज में प्रत्येक वर्ष भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी एवं मॉडल ब्लड बैंक, मेकाहारा हॉस्पिटल के संस्थानों से समन्वय स्थापित कर रक्तदान शिविर (BLOOD DONATION) लगाये जाने की व्यवस्था करना, जिसके उपरांत सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये आपातकालीन स्थिति बीमार, घायल अन्य किसी भी घटना होने पर लोगों के लिये रक्त (BLOOD) की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना।

2. शिक्षा (EDUCATION)

- ❖ समाज में सभी वर्गो के बच्चों के लिये विद्यालय का निर्माण करना। जिसमें स्मार्ट क्लास जैसे (कम्प्यूटर, योगा कक्षाओं में डिजिटल स्क्रीन, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाकर इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री प्रदान करवाना छात्रों को व्यस्त रखने के लिए वीडियो, ऑडियो, एनीमेशन, और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ❖ आरटीई (RTE) का मतलब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education) इसके तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संस्था द्वारा समाज में लोगों को जागरूक करना तथा योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान कराना एवं इस योजना के तहत् बच्चों का विद्यालय में प्रवेश (भर्ती) कराने में पूर्ण सहयोग देना।
- ❖ स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा संरचना और बुनियादी ढांचे को सकारात्मक रूप से बदल दिया है। संस्था द्वारा समाज में लोगों को जागरूक करना तथा योजना की संपूर्ण जानकारी प्रदान कराना एवं इस योजना के तहत् बच्चों का विद्यालय में प्रवेश (भर्ती) कराने में पूर्ण सहयोग देना।
- ❖ प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं अथवा 12वीं एवं उच्च स्तर की कक्षाओं के मेधावी छात्र एवं छात्राओं का ''सम्मान समारोह'' समिति द्वारा आयोजित किया जाना है।
- ❖ शिक्षा में कमजोर बच्चों के लिये शिक्षकों का इंतेजाम न्यूनतम फीस पर करने का प्रयास करना। होनहार बच्चे जिनके परिवार वाले किसी कारणवश बच्चें के आगे की पढ़ाई कराने में असमर्थ है, उनकी पढ़ाई के लिये समिति द्वारा उचित आर्थिक सहयोग एवं मार्गदर्शन देकर पढ़ाई को निरंतर जारी रखने में सहायता देना।
- ❖ समाज में शिक्षा के स्तर की वृद्धि करने के लिये शासन और प्रशासन से सहायता प्राप्त कर उनका लाभ सभी वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश करना।

➢ समिति द्वारा समाज में किये गये कार्यो की समीक्षा एवं उपलब्धि वर्ष 2023 से 2025 तक

क्र.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक	स्थान	लाभान्वित संख्या
01	मेधावी छात्र एवं छात्राओं का सम्मान समारोह वर्ष–2023 (कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं)	17.06.2023	मरहूम जनबा शफाअत हुसैन करबलाई रायपुर (छ.ग.)	09
02	निः शुल्क चिकित्सा शिविर	13.10.2024	हैदर मस्जिद के सामने ताज़िया हॉल, मोमिनपारा, रायपुर (छ.ग.)	250
03	इज्तेमाई शादी (सामूहिक विवाह)	25.06.2024	हैदरी ईमामबाड़ा, मोमिनपारा, रायपुर (छ.ग.)	22
04	मेधावी छात्र एवं छात्राओं का सम्मान समारोह वर्ष–2024 एवं वर्ष–2025 (कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं)	21.06.2025	हैदरी ईमामबाड़ा, मोमिनपारा, रायपुर (छ.ग.)	26

नोट :– सरल क्रमांक – 01 से 04 तक सभी कार्यक्रमों की फोटो संलग्न है।

➢ शासकीय योजना के तहत् समाज में प्रचार–प्रसार कर सभी वर्गो को लाभान्वित किये गये संस्था के सदस्यों के कार्यो का विवरण :–

1 **आरटीई (RTE) :–** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा विभाग के तहत आरटीई (RTE) शिक्षा का अधिकार (Right to Education) इसके तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों का वर्ष 2024–25 में 07 बच्चों निजी स्कूलों में ऑनलाईन फॉर्म भरे गये, समिति के सदस्यों द्वारा उन परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया एवं उचित मार्गदर्शन देकर 02 बच्चों का स्कूल में भर्ती करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

2 **आरटीई (RTE) :–** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा विभाग के तहत आरटीई (RTE) शिक्षा का अधिकार (Right to Education) के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों का वर्ष 2025–26 में 09 बच्चों का निजी स्कूलों में ऑनलाईन फॉर्म भरे गये, समिति के सदस्यों द्वारा उन परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया एवं उचित मार्गदर्शन देकर 03 बच्चों का स्कूल में भर्ती करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

3 **स्वामी आत्मानंद स्कूल :–** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के तहत वर्ष 2024–25 में शासकीय स्कूल में 11 बच्चों का ऑनलाईन फॉर्म भरे गये, समिति के सदस्यों द्वारा उन परिवार को पूर्ण रूप से परिवार को सहयोग दिया गया एवं उचित मार्गदर्शन देकर 03 बच्चों का स्वामी आत्मानंद स्कूल में भर्ती करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

4 **स्वामी आत्मानंद स्कूल :–** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के तहत वर्ष 2025–26 में स्वामी आत्मानंद द्वारा संचालित शासकीय स्कूल में 13 बच्चों का ऑनलाईन फॉर्म भरे गये, समिति के सदस्यों द्वारा उन परिवार को पूर्ण रूप से परिवार को सहयोग दिया गया एवं उचित मार्गदर्शन देकर 05 बच्चों का स्वामी आत्मानंद स्कूल में भर्ती करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

5 **महतारी वंदन योजना :–** महतारी वंदन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मार्च 2024 में प्रारंभ की गई थी समिति के सदस्यों द्वारा समाज में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार कर पात्र 25 महिलाओं का सफलतापूर्वक ऑनलाईन/ऑफलाईन फॉर्म भरे गये, वर्ष 2025 तक सभी 25 पात्र महिलाएं प्रत्येक माह 1000 रू. की राशि प्राप्त कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही है।

6 **मुख्यमंत्री मितान योजना (टोल–फ्री नंबर 14545)** :– समिति के सदस्यों द्वारा मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोल–फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके एवं अपॉइंटमेंट लेकर समन्वय स्थापित करने उपरांत वर्ष–2024 इज्तेमाई शादी (सामूहिक विवाह) उपरांत संस्था के सदस्यों के द्वारा 07 विवाहित जोडों का विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया गया, तथा सफलतापूर्वक विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) प्रदाय किया गया।

7 **मुख्यमंत्री मितान योजना (टोल–फ्री नंबर 14545)** :– समिति के सदस्यों द्वारा मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोल–फ्री नंबर 14545 पर कॉल करके एवं अपॉइंटमेंट लेकर समन्वय स्थापित करने उपरांत वर्ष–2025 में संस्था के सदस्यों के द्वारा 03 विवाहित जोडों का विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया गया, तथा सफलतापूर्वक विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) प्रदाय किया गया।

8 **महतारी वंदन योजना** :– महतारी वंदन योजना के तहत् 02 महिलाओं का समिति के सदस्यों के द्वारा बैंक खाते खुलवाने में उचित मार्गदर्शन देकर बैंक खाते खुलवायें गये।

9 **छात्रवृत्ति प्रदाय** :– छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना के तहत संस्था के सदस्यों के द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार उपरांत समाज में कुल 06 पात्र बच्चों (बालक / बालिका) को छात्रवृत्ति प्रदाय करने में पूर्ण रूप से सहयोग देकर पालकों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाया गया।

10 **कोचिंग सहायता योजना :–** छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत समाज में शिक्षा के क्षेत्र में 01 बच्चें को CG VYAPAM (छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल), RAILWAY (रेल्वे), हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग संस्था में समिति के सदस्य द्वारा कोचिंग संस्थान में बच्चें का एडमिशन कराया गया।

11 **मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता** :– छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के अविवाहित पुत्रियों जिनकी आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष हो एवं कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 02 अविवाहित पुत्रियों को 20000 रूपये की राशि का एकमुश्त सहायता राशि से समिति के सदस्य द्वारा 02 पुत्रियों को उनके परिवार को लाभान्वित किये जाने की पूर्ण कार्यवाही की गई, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

12 **दीर्घायु सहायता योजना अंतर्गत** :– छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के द्वारा निर्माण मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को दुर्घटना के कारण चिकित्सा कराएं जाने हेतु एकमुश्त राशि वास्तविक राशि या अधिकतम राशि 20000 रूपये की दर से समाज में 01 श्रमिक को दुर्घटना हो जाने के उपरांत उस व्यक्ति को 20000 रूपये की राशि श्रम विभाग के योजना के तहत समिति के सदस्य द्वारा दुर्घटना हितग्राही को 20000 रूपये की राशि प्राप्त करने में सहयोग देकर लाभान्वित किये जाने में पूर्ण रूप से सहायता किया गया, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

13 **श्रमिक पंजीयन कार्ड (मजदूर कार्ड)** :– छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक पंजीयन कार्ड समिति के सदस्य द्वारा जरूरतमंद 02 पात्र व्यक्तियों को श्राम विभाग में पंजीकृत कर उन व्यक्तियों को श्रमिक पंजीयन कार्ड (मजदूर कार्ड) बनाने में पूर्ण रूप से समिति के सदस्यों द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया गया एवं श्रमिक पंजीयन कार्ड (मजदूर कार्ड) प्राप्त करने में सहयोग दिया गया।

➢ शिक्षा के क्षेत्र में समाज के लिये समिति द्वारा भविष्य में किये जाने की कार्ययोजना

1. समाज में सभी वर्गो के बच्चों (बालक/बालिका) के लिये विद्यालय का निर्माण करना। जिसमें हर प्रकार की अनिवार्य सुविधा बच्चों को प्राप्त हो सकें।
2. कक्षा 10वीं एवं 12वीं तथा भविष्य में अन्य उच्च कक्षाओं के मेधावी छात्र/छात्राओं का प्रत्येक वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन करना।
3. समाज में होनहार एवं जरूरतमंद छात्र–छात्राओं जो गरीब परिवार में रहते है जिसकी शिक्षा आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण विद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश नही लिये गये है। संस्था ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर उनको आर्थिक सहायता प्रदाय करने में सहायता करना, एवं विद्यालय/महाविद्यालय में उनकी शिक्षा निरंतर जारी रखने में सहयोग करना।
4. शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए छात्रवृत्ति, कैरियर परामर्श और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान कराना, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना।
5. समाज में होनहार एवं जरूरतमंद छात्र–छात्राओं जो गरीब परिवार में रहते है एवं आर्थिक स्थिति खराब है, उन सभी बच्चों को कम्प्यूटर का बेसिक जानकारी एवं टैलीप्राइम जीएसटी 6.0 कोर्स करने में सहयोग करना एवं कम्प्यूटर क्लास को प्रारंभ करना।
6. डिजिटल शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि छात्रों को व्यावहारिक और तकनीकी कौशल भी सिखाती है, जो उन्हें रोज़गार के लिए तैयार करता है। संस्था डिजिटल शिक्षा की स्थापना करने एवं प्रचार प्रसार करके बच्चों को जागरूक करना।
7. मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत छात्र–छात्राओं को आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बी.टेक आदि जैसे व्यावसायिक पाठयक्रमों को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की पहल करना हैं।
8. उच्च शिक्षा सिविल सेवा, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए परामर्श और सहायता करने की पहल करना हैं।
9. शैक्षणिक योग्यता अनुरूप छात्र–छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे–PSC (लोक सेवा आयोग), CG VYAPAM (छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), IBPS (बैंकिंग), RAILWAY (रेल्वे), POLICE ENTRANCE (पुलिस भर्ती परीक्षा) इत्यादि चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग संस्थाओं में बच्चों को निःशुल्क शासकीय योजना के तहत प्रवेश दिये जाने में उचित सहयोग/मार्गदर्शन देना।
10. छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा, उच्चा शिक्षा तकनिकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा नर्सिग शिक्षा उपलब्ध कराना तथा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
11. सर्वांगीण विकास बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देना।
12. शैक्षणिक संरचना बच्चों को 03 से 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई संरचना तैयार कर समाज में शिक्षा का विकास करना।
13. डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और ऑनलाइन शिक्षा के संसाधनों का उपयोग करना।
14. शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे कि ट्यूशन क्लास, वर्कशॉप, सेमीनार, वाद–विवाद प्रतियोगिता, स्कूल प्रतियोगी परीक्षा अन्य गतिविधियों का संचालन करना।
15. बच्चों को अंग्रेजी स्पोकन, राइटिंग सुधार करने की कक्षा स्थापित करना।
16. लाइब्रेरी – बच्चों एवं समाज में सभी वर्गो के लिये लाईब्रेरी कक्ष की स्थापना करना जिससे समाज में एक शिक्षा का माहौल बने, तथा बच्चे, महिला, युवा सभी वर्गो का विकास हो।
17. खेल – जो बच्चा खेल में रूचि एवं अपना भविष्य बनाना चाहते है, उन्हें प्रोत्साहित करना. एवं उनकी प्रतिभा को देखकर जीवन में आगे बढ़ाने के लिये बच्चों प्रोत्साहित करना।

➢ स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज के लिये समिति द्वारा भविष्य में किये जाने की कार्ययोजना

1. समाज में समय–समय पर मेडिकल कैम्प (स्वास्थ्य शिविर) कार्यक्रम का आयोजन किया जाना जिसके अंतर्गत सभी धर्मो के लोगों का स्वास्थ्य शिविर में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करने उपरांत उचित मार्गदर्शन और परामर्श देकर निःशुल्क दवा वितरण करना।
2. समाज में आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीजन का प्रबंध करना। जिससे आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंद मरीजों कों ऑक्सीजन का उपयोग कर सके एवं होने वाली अप्रिय घटना से बचा जा सकें।
3. समाज के विभिन्न वर्गों को स्वास्थ जीवनशैली और बीमारियों से बचाव के बारे में समय–समय पर जागरूक करना, टीकाकरण को बढ़ावा देना और स्वास्थ वातावरण बनाने में मदद करना।
4. समाज में स्वास्थ्य के प्रति देखभाल तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से वंचित और कमजोर समूहों के लिए, और उन्हें आवश्यक उपचार और संसाधनों से जोड़ना।
5. समाज में जरूरतमंद मरीजों और उनके परिवारों को बीमारी के दौरान भावनात्मक सहारा देना, उनके मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करना और उनकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के साथ मिलकर काम करना, सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना।
7. शासन द्वारा जारी आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत समाज में जिन व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड नही बना है। उन सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग देना।
8. छ.ग. शासन, श्रम विभाग द्वारा नवीन योजनाओं की जानकारी प्रदान कराना। पंजीकृत श्रमिकों, पात्र महिलाओं एवं पुरूषों को स्वास्थ्य संबंधी योजनांओं से लाभान्वित कराना।
9. परामर्श (Counseling) मरीजों और उनके परिवारों को बीमारी से जुड़ी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से निपटने के लिये संबंधित बिमारियों के विषय विशेषज्ञ परामदर्शताओं से संपर्क कर परामर्श (Counseling) करने में मरीजों का सहयोग देने की व्यवस्था करना।
10. आम जनता, खासकर युवाओं और छात्र समुदाय के बीच मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना, और नशा मुक्ति समाज में अभियान चलाया जाना।
11. नशा मुक्ति हेतु विभिन्न कार्यशालाओं व शिविरों का आयोजन करना तथा लोगों को नशा मुक्ति हेतु जागरूक करना एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
12. समाज में सभी वर्ग के व्यक्ति एवं युवाओं और छात्रों के बीच मादक द्रव्यों का उपयोग कर नशे में अपना जीवन खराब कर रहे है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित कर उन व्यक्ति का परामर्श (Counseling) कक्ष की स्थापना करना।
13. नशा सेवन का हानिकरक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से निपटने के लिये संबंधित बिमारियों के विषय विशेषज्ञ परामदर्शताओं से संपर्क कर परामर्श (Counseling) करने में मरीजों का सहयोग देने की व्यवस्था करना।
14. समाज में बच्चों के लिये समय–समय पर सेमीनार का आयोजन करना जिसमें मोबाईल एवं टीवी से होने वाले दुष्प्रभावों, एवं अन्य हानिकरक उपकरणों की जानकारी प्रदान करना।
15. समाज में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये बीमार या घायल अवस्था में लोगों के लिये रक्तदान शिविर लगाकर रक्त की निःशुल्क व्यवस्था करना।

➢ महिलाओं के क्षेत्र में समिति द्वारा भविष्य में किये जाने की कार्ययोजना –

1. सभी स्तरों पर, बालिकाओं और महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना जागरूकता अभियान महिलाओं को उनके अधिकारों और सामाजिक महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाना।
2. समाज में सामूहिक विवाह का आयोजन करना जिसमें दहेज प्रथा को कम करने में मदद मिलेगी, तथा गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायत होगी, और परिवार पर वित्तीय बोझ कम होगा, इससे सामाजिक कुरीतियाँ वह अनुचित या हानिकारक प्रथाएँ हैं जो समाज और व्यक्ति को नुकसान पहुँचाती है। सामूहिक विवाह का आयोजन कर इन समस्या का हल हो सकता है।
3. महिलाओ को शासन द्वारा प्रसारित योजनाओं से अवगत करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना। कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराकर उनमें स्वावलंबन की भावना जागृत करना।
4. महिलाओं को सिलाई बुनाई, कढाई, ब्यूटी पार्लर, मेंहदी, हस्तशिल्प, एवं अन्य स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाना तथा स्वरोजगार स्थापना संबंधी जानकारी प्रदान करना महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कार्य करना।
5. सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा के विरोध में जनभावना जागृत करना।
6. स्वच्छता के प्रति महिलाओं को जागरूक करना तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्यकर्मों के क्रियान्वन व संचालन करना।
7. महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में समान अवसर और शक्ति प्रदान करना। शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करना।
8. महिलाओं को आर्थिक विकास का सक्रिय भागीदार और लाभार्थी बनाना। महिलाओं और लड़कियों को हिंसा और शोषण से बचाने के लिए मजबूत तंत्र बनाना।
9. महिलाओं एवं बच्चियों का बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, और दहेज उत्पीड़न की पीड़ितों को परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करना।
10. बालिकाओं की शिक्षा को समाज में बढ़ावा देना और लैंगिक भेदभाव को खत्म करना।
11. डिजिटल साक्षरता और ई–लर्निंग महिलाओं को इंटरनेट और ई–लर्निंग के माध्यम से कौशल सिखाना, ताकि वे अपने कैरियर में आगे बढ़ने की भावना को जागृत करना।
12. महिलाओं को जागृत करने एवं व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों, घरेलू हिंसा, रिश्तों की समस्याएँ, मातृत्व और आत्म–विश्वास का सामना करने के लिये समाज में समय–समय पर पर सेमीनार आयोजित कर महिलाओं को शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक परामर्श देते हुए, सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं को अपनी भावनाओं को समझने और शक्तिशाली एवं स्वास्थ रहने के लिए प्रेरित करना तथा उचित मार्गदर्शन/सहयोग देकर सेमीनार का आयोजन करना।
13. समाज में परिवारिक विवाद परिवारिक मतभेद विवादों में संपत्ति से जुड़े मुद्दे, तलाक और बच्चों की कस्टडी, पारिवारिक व्यवसाय में संघर्ष, उत्तराधिकार संबंधी विवाद, और रिश्तों में तनाव अन्य समाज में होने वाले विवादों से निपटने के लिये समाज में पढ़े–लिखें वरिष्ठ/बुजूर्ग लोगें की एक समिति (टीम) तैयार करना जो होने वाले विवादों को बैठकर खत्म किया जा सकें।

➢ अन्य क्षेत्रों में समिति द्वारा भविष्य में किये जाने की कार्ययोजना –

1. रोजगार–जॉब से युवा को जोड़ना समय–समय पर शासकीय अर्द्धशासकीय एवं प्राईवेट रोजगार सम्बंधित जानकारी देना जिससे लोगों में बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके।
2. बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं का विकास प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान कर उनका विकास कराना।
3. समाज में युवा वर्ग के लियें व्यायाम (जिम) कक्ष की स्थापना किया जाना। जिसके माध्मय से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं अच्छा मानसिक स्वास्थ्य शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जैसे व्यायाम मूड को सुधारता है और अच्छी नींद एकाग्रता बढ़ाती है।